-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप एक अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास सहित अलग-अलग 05 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को कुल 10 हजार 500 रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **ऑपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप **एक अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास सहित अलग-अलग 05 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को कुल 10 हजार 500 रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना जसपुरा में पंजीकृत अभियोग (एनसीआर)- 72/13 धारा 504 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-रामऔतार पुत्र भगवानदीन व 2-शारदा पत्नी रामऔतार निवासीगण नारायण थाना जसपुरा जनपद बांदा को **500-500 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग 270/17 धारा 279/337 भादवि के अभियुक्त मातादीन केवट पुत्र बद्री केवट निवासी पहाड़िया भूरागढ़ थाना मटौन्ध जनपद बांदा को **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना नरैनी में पंजीकृत अभियोग 85/95 धारा 452/354/506(2) भादवि के अभियुक्त रज्जन पुत्र गिल्ला निवासी कछिया पुरवा पिपरहरी थाना नरैनी जनपद बांदा को **02 वर्ष के साधारण कारावास व 6000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
4. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग 937/20 धारा 279/338/427 भादवि के अभियुक्त विकास सिंह राठौर पुत्र शिवसिंह निवासी नगर उरई जनपद जालौन को **1500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
5. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग 773/99 धारा 379/411 भादवि के अभियुक्त आशाराम पुत्र वरदानी निवासी पचुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।